

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्गीय सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक: शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/2856/आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक 18.02.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ-सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित आशार्थियों को राज. सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017, पे-मेट्रिक्स L-5 में कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय (फिक्स रेमूनरेशन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/कार्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राज. लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय एवं माननीय न्यायालय सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017, राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अधीन रहेगी।


परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(1)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार फिक्स रेमूनरेशन रुपये 14600/- के रूप में देय होगा। इनके द्वारा प्रोवेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा की गई अभिशंभा के आधार पर इन्हें पद का प्रारंभिक वेतन पे-मेट्रिक L-5 में 20800/- पर स्थाईकरण उपरान्त नियमित किया जावेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा। इस अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकरिमक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें दिनांक 23.03.2018 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे। कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सेवा में पहले से ही कार्यरत हैं, उनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक नहीं है।
3. संबंधित संस्थाप्रधान जिला पुलिस अधीक्षक से जारी आचरण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अगल में लाई जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से राज्य सेवा में नियोजित हैं तो उनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक नहीं है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.03 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की कुल संख्या दो अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/-रूपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेवें कि इनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं व दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के नियम 16 की अनुसूची 4 में प्रदत्त निर्देशों की पालना संस्थाप्रधान द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
7. इस कार्यालय द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की एक प्रति संबंधित की व्यक्तिगत पंजिका में रखेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। संबंधित संस्था प्रधान शालादर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण करवाकर कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।



(रामनारायण मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

दिनांक : 8/3/18

क्रमांक : जिशिअ/मा/बारां/संस्था-2/आरपीएससी 2013-क.सहा./नियुक्ति/2018/
प्रतिलिपि सचूनार्थ एवं पालनार्थ :-

293

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान उपशासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान सचिव महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान उपनिदेशक महोदय (माध्यमिक) शिक्षा विभाग कोटा।
7. वरिष्ठता अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयध्यक्ष।
9. संबंधित आशार्थी।
10. व्यक्तिगत पंजिका संबंधित आशार्थी।
11. रक्षित पत्रावली।




जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

-:: आदेश संख्या 01 ::-

क्रमांक : जिशिअ/मा/बारां/संस्था-2/आरपीएससी 2013-क.सहा./नियुक्ति/2018/ 213 दिनांक : 8/3/18

क्र. सं.	मेरिट संख्या	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2725	SB	मुकेश गोचर पुत्र श्री राम दयाल गोचर, ग्राम व पोस्ट कुजैड़, तहसील अटरू जिला बारां 325207 (सी.सै.)	04.08.1991	OBCM	रा.आ.उ.मा.वि. जीरोद (अटरू)
2	3013	BC	मनीष नागर पुत्र श्री किशन गोपाल नागर, ग्राम सोड़लहेड़ी पोस्ट दिलोदहाथी तहसील अटरू जिला बारां 325219 (बी.ए.)	02.01.1995	OBCM	रा.आ.उ.मा.वि. कूण्डी (अटरू)
3	3873	BC	राकेश कुमार सुमन पुत्र श्री बाबू लाल, ग्राम कराड़िया हाड़ा पोस्ट सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां 325223 (सी.सै., बी.टेक., गेट)	20.07.1990	OBCM	रा.आ.उ.मा.वि. खरखड़ारामलोथान (अटरू)
4	4244	SC	राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन लाल छन्दक, ग्राम व पोस्ट बमूलियाकलां तहसील अन्ता जिला बारां 325202 (सी.सै., बी.टेक., गेट)	10.07.1992	SCM	रा.मा.वि. हापाहेड़ी (अन्ता)
5	4361	ST	जसवंत मीणा पुत्र श्री मोहन लाल, ग्राम व पोस्ट हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां (बी.ए.)	05.07.1994	STM	रा.मा.वि. मेलखेड़ी (बारां)
6	5096	SC	राज्य प्रकाश मेघवाल पुत्र श्री मुकन्द चन्द, ग्राम कोटडाभगवान पोस्ट काल्पाजागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां 325221 (बी.ए., बी.एड)	09.07.1994	SCM	रा.मा.वि. कोटडाभगवान (छीपा.)
7	5146	ST	इन्दर सिंह मीणा पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, म.नं. 67, गली नं. 05, कृष्णा नगर, पुलिस लाईन, कोटा 324001 (सी.ए., एम.ए., बी.एड)	01.10.1991	STM	रा.आ.उ.मा.वि. निपानियां (छबड़ा)
8	5509	ST	योगेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री बृज मोहन मीणा, ग्राम देवपुरा पोस्ट मिर्जापुर, तहसील अन्ता जिला बारां 325202 (सी.सै., बी.टेक.)	02.11.1989	STM	रा.आ.उ.मा.वि. खजूरणाकलां (अन्ता)


 (रामनारायण मीणा)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (माध्यमिक) बारां